श्रीमती रेणु कुमारी
कार्यपालक दण्डाधिकारी

23/10/17

Online Entry

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धनबाद

एम० पी० केश नं० 303/2017 धारा 107 द.प्र.स.

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई
मुन्ना विश्वकर्मा बनाम मो० मुस्तफा केन्दुआडीह थाना अप्राथमिकी सं० 03/17 प्राप्त हुआ। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी स० अ०नि०/अ०नि० केन्दुआडीह ने जाँच कर अपना प्रतिवेदन थाना प्रभारी केन्दुआडीह थाना एवं अ० निरी० केन्दुआडीह ने अग्रसारित किया है जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच आपसी विवाद को लेकर तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा सकते है। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 16.3.17 को 10.30 बजे पूर्वाह्न उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके ₹ 5000.00 रू० का दो समप्रतिभुतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय। लेखापित एवं संशोधित अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद	1.5.17 27.5.17 1/5/17 18/5/17 29/5/17 12/6/17 27/6/17 10/7/17 26/7/17 11/8/17 29/8/17 11/9/17 27/9/17 9/10/17 24/10/17 8/11/17 13/11/17 23/11/17 समाप्त

[illegible]

प्रथम पक्ष की हाजरी है।
द्वितीय पक्ष 3/1 की हाजरी है। एंड 11 को
आदेश है जिसे ____ लिखा जाता है
कार्यपालक दंडाधिकारी के कारण उभय पक्ष
द्वारा शांति कायम होने की बात
न्यायालय को मौखिक रूप से दी
गई अतः कार्यालय एवं न्यायालय
मे वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है

[illegible]

Digitally signed by PREM KUMAR TIWARY
Date: 2023.04.08 15:54:46 +05:30
Location: 192.168.29.43

Scanned with OKEN Scanner